संख्या- 30 /2024/201/चार-2024

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभागः लखनऊः दिनांक 12 जनवरी, 2024

विषय- परमपूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से की जाने वाली श्रीराम कथा के वाचन पर होने वाले व्यय की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-3680/सं0नि0-15(75)/2023-24, दिनांक 11 जनवरी, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में परमपूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से की जाने वाली श्रीराम कथा के वाचन पर होने वाले व्यय रू0 15.00 लाख (रूपये पन्द्रह लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदाने करते हैं:-

(1) उक्त स्वीकृति का भुगतान वास्तविक बिल/वाउचर के आधार पर की जायेगी।

(2) समस्त कार्यो का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।

(3) उक्त स्वीकृति धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।

(4) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का संबंधित को समयान्तर्गत भुगतान के उपरान्त यथाशीघ्र शासन को सूचित किया जायेगा।

3. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अन्तर्गत अनुदान सं0-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205- कला एवं संस्कृति-800- अन्य व्यय-21-रामोत्सव अयोध्या 2023-24-42-अन्य व्यय मद में उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा।

भवदीय
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

संख्या- 30 /2024/201/ चार-2024, तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- वित्त(लेखा) अनुभाग-1/वित्त(ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in